




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

गनेत्र मठो

बनाम

मृ लुजय मठो वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अगिलेख सं०-एम.....(11)...../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी <del>राँची</del> के अप्राथमिकी सं०-10/18 दिनांक-23.3.18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <del>विवाहित ममि</del> <del>स्ताम न० 105 प्लॉट न० 1 तैलल रकवा 29.25 रकड</del> <del>उमय पत्र का 3.56 रकड को लेकर उमय पत्र में</del> <del>विवाद है।</del></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं प्रायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उभय/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि 11-05-18 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> <div style="text-align: center;">               कार्यपालक दण्डाधिकारी,              बुण्डू।         </div> </div> <p align="center" style="margin-top: 20px;">अगिलेखा उपस्थापित / उमय पत्र अनुपस्थित / दिनांक 28-05-18 को शरत</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">               11/5/18         </div>	

2 11-05-18

07-01-19

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र  
अनुपस्थित दिनांक पत्र क्रमांक 01 उपस्थापित  
अन्य अधिवक्ता हाजरी। इक्ल वाद में  
6(6) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी  
है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है।  
अतः वाद में अभिलेख की कारवाही बन्द  
की जाती है।

  
07/01/19